



सी. पहचान/पते का प्रमाण (आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज) [कृपया उपयुक्त बॉक्स (कोई एक आईडी प्रकार) पर निशान लगाएं और विवरण दें]\*

ए- पासपोर्ट  बी- मतदाता पहचान पत्र  सी- ड्राइविंग लाइसेंस  डी- आधार संख्या होने का प्रमाण (सत्यापन)  ई-केवाईसी  ऑफलाइन

ई-नरेगा जॉब कार्ड  एफ- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का विवरण शामिल है

क्या प्रस्तुत दस्तावेज़ ई-दस्तावेज़ के समकक्ष है  हाँ  नहीं

दस्तावेज़ सं/ पहचान क्रमांक\*

द्वारा जारी किया गया:  जारी करने की तिथि:\*  समाप्ति तिथि:\*

केवल विदेशी नागरिकों के लिए:

बीजा विवरण (संदर्भ संख्या):

द्वारा जारी किया गया:  जारी करने की तिथि:\*  समाप्ति तिथि:\*

लघु खाते: केवल स्वप्रमाणित फोटो

डी. पते का विवरण  वर्तमान  विदेशी

पते का प्रकार\*  आवासीय/व्यावसायिक  आवासीय  व्यवसाय  पंजीकृत कार्यालय  अनिर्दिष्ट

पता\*

शहर/गांव:\*  जिला\*:

राज्य:\*  पिन:\*  देश का नाम\*

ई. पते का विवरण  पत्र-व्यवहार  वर्तमान/विदेशी पते के समान

पते का प्रकार\*  आवासीय/व्यावसायिक  आवासीय  व्यवसाय  पंजीकृत कार्यालय  अनिर्दिष्ट

पता\*

शहर/गांव:\*  जिला\*:

राज्य:\*  पिन:\*  देश का नाम\*

एफ. यदि आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज़ (ओवीडी) में वर्तमान पता नहीं है, तो कृपया नीचे दिए गए कोई भी दस्तावेज़ प्रदान करें। (2 माह से अधिक पुराना नहीं)

उपयोगिता बिल  पीपीओ/एफपीपीओ  संपत्ति या नगर निगम कर रसीद

आवास आवंटन का पत्र नियोक्ता द्वारा जारी / राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी किया गया। इसी प्रकार, आधिकारिक आवास आवंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ अवकाश और लाइसेंस समझौते।

स्व-घोषणा (यदि आधार स्वैच्छिक रूप से पहचान के उद्देश्य से प्रदान किया गया है और वर्तमान पता केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी में उपलब्ध पते से अलग है, तो यूआईडीएआई द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करके आधार संख्या का प्रमाणीकरण अनिवार्य है।)

दस्तावेज़ सं.  दिनांक

जी. घोषणा सह वचनपत्र सह स्व-प्रमाणन

- मैंने दिए गए खाता खोलने के फॉर्म की नियम और शर्तों की प्रति पढ़ ली है। नियम एवं शर्तें मुझे/हमें समझा दी गई हैं और समझने के बाद मैं/हम इन्हें स्वीकार करता हूँ/करते हैं।
- मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने पीएमएलए, 2002 के तहत केवाईसी मानदंडों के अनुपालन के लिए पहचान और/या पते के प्रमाण के लिए स्वेच्छ से यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड जमा कर दिया है।
- मैं इस बात पर सहमत होता हूँ कि बैंक इसे यूआईडीएआई के साथ सत्यापित कर सकता है और यूआईडीएआई को बैंक को बायोमेट्रिक/ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से पहचान और पता जारी करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत कर सकता है।

हाँ  नहीं (डीबीटी लाभ प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी प्रमाणीकरण और आधार सीडिंग अनिवार्य है)

फोटो\* कृपया चिपकारं नवीनतम पासपोर्ट आकार (स्टैपल न करें)

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान कृपया केवल काली स्याही से ही हस्ताक्षर करें

स्थान  दिनांक

एच. कार्यालय उपयोग के लिए  दस्तावेज़ प्राप्त हुए  स्वयं प्रमाणित  वास्तविक प्रतिलिपियाँ  नोटरी  समतुल्य ई-दस्तावेज़

i. खाता खोलने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में प्राप्त स्व-प्रमाणन और दस्तावेजों को सत्यापित किया गया है और सही पाया गया है।

ii. प्रमाणित किया जाता है कि ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित नियम एवं शर्तों की प्रति प्राप्त हो गई है

iii. आधार सत्यापन:  ई-केवाईसी  ऑफलाइन

iv. प्रमाणित किया जाता है कि खाते के संचालन के निहितार्थ और शर्तों को जमाकर्ता को समझा दिया गया है (केवल अशिक्षित आवेदक के मामले में)

v. प्रारंभिक सीमा  vi. बीआईएस संगठन कोड  vii. ग्राहक क्षेत्र

viii. जमाकर्ता  अशिक्षित  दृष्टिबाधित  कर्मचारी  जोखिम श्रेणी:\*  उच्च  मध्यम  अल्प

एक या दो पहचान चिन्हों का विवरण, यदि कोई हो, जैसे तिल या निशान (अनपढ़ आवेदक के लिए अनिवार्य) सीआईएफ खोलने की अनुमति

व्यक्तिगत सत्यापन किया गया और आवेदक के हस्ताक्षर/एलटीआई का सत्यापन किया गया।

अधिकारी का नाम:  पीएफ नंबर  पदनाम

दिनांक  एसएस नंबर  हस्ताक्षर



# वैयक्तिक के लिए खाता खोलने का फॉर्म (भाग-11)

## (बचत बैंक, चालू खाता और सावधि जमा)

### तारांकित (\*) फ़ील्ड अनिवार्य हैं।

#### कृपया केवल बड़े अक्षरों में भरें और हस्ताक्षर के लिए काली स्याही का उपयोग करें



(केवल कार्यालय के उपयोग के लिए)

दिनांक

प्रथम आवेदक ग्राहक आईडी

दूसरा आवेदक ग्राहक आईडी

खाता नंबर

बैंक / शाखा को नाम और कोड नंबर की रबर स्टाम्प लगानी होगी।

मैं / हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप मेरा / हमारा जमा खाता अपनी शाखा / बैंक में निम्नानुसार खोलें: (खाते के प्रासंगिक प्रकार पर (✓) निशान लगाएं)

### ए. खाते का प्रकार (चालू खाते के मामले में, घोषणा सह वचन पत्र, अनुलग्नक 3 प्राप्त किया जाना है)

बचत बैंक खाता  बीएसबीडीए  बीएसबीडीए लघु खाता  चालू खाता (वैयक्तिक)  सावधि जमा / एमओडी / आरडी (कृपया बिंदु क्रमांक डी 1/2/3 भरें)  कैप्स गेन (एसबी) (कृपया बिंदु क्रमांक डी 1 भरें)  बचत प्लस खाता

### बी. संचालन का तरीका

स्वयं  दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी  पूर्व या उत्तरजीवी  कोई एक या उत्तरजीवी  संयुक्त रूप से संचालित  अन्य \_\_\_\_\_

### सी. आवश्यक सेवाएँ

1 एटीएम-सह-डेबिट कार्ड

पहला आवेदक  हां  नहीं

दूसरा आवेदक  हां  नहीं

नाम जो कार्ड पर अंकित होगा

कार्ड का प्रकार

पहला आवेदक	दूसरा आवेदक
भौतिक कार्ड <input type="checkbox"/>	भौतिक कार्ड <input type="checkbox"/>
आभासी कार्ड <input type="checkbox"/>	आभासी कार्ड <input type="checkbox"/>
₹ रुपये <input type="checkbox"/>	₹ रुपये <input type="checkbox"/>
बी) वीज़ा <input type="checkbox"/>	बी) वीज़ा <input type="checkbox"/>
सी) मास्टर <input type="checkbox"/>	सी) मास्टर <input type="checkbox"/>

अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स व्यापारियों पर लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक अनिवार्य नहीं है। कार्ड को अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन अक्षम स्थिति के साथ प्रदान किया जाएगा जिसे आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध चैनल के साथ सक्षम किया जा सकता है। कार्ड का उपयोग बैंकों द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा तक बिना पिन के संपर्क रहित लेनदेन के लिए किया जा सकता है।

(2 से 6 सेवाओं के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य है)

2. चेक बुक  हां  नहीं  
(केवल नियमित एसबी/चालू खाते/कैप्स गेन (एसबी) के लिए)  
(नियमित बीएसबीडीए/लघु खातों के लिए उपलब्ध नहीं)

3. इंटरनेट बैंकिंग आवश्यक:  
लेन-देन अधिकार आवश्यक  
पहला आवेदक  हां  नहीं  
दूसरा आवेदक  हां  नहीं  
(केवल एकल संचालित खातों और किसी एक या उत्तरजीवी मोड द्वारा संचालित संयुक्त खातों के लिए उपलब्ध है।  
पूर्व या उत्तरजीवी मोड के रूप में संचालित खातों के मामले में आईएनबी सुविधा केवल प्रथम आवेदक के लिए उपलब्ध है।)

4. पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट  हां  नहीं

5. फोन बैंकिंग सेवाएँ:  हां  नहीं

6. मोबाइल बैंकिंग:  हां  नहीं

7. पासबुक आवश्यक: (बचत बैंक खाते के लिए)  हां  नहीं

8. ई-स्टेटमेंट (मासिक अंतराल पर), पेपर कॉपी के बदले में:  आवश्यक  आवश्यक नहीं

### डी. मीयादी जमा

1) संयुक्त खातों के मामले में, आयकर प्रावधान केवल प्राथमिक/प्रथम खाताधारक पर लागू होगा।

### डी. (1) सावधि जमा: निम्नलिखित उत्पादों/सुविधाओं के लिए, कृपया विकल्प/विवरण प्रस्तुत करें:

मीयादी जमा  मीयादी जमा (पुनर्निवेश)  वार्षिकी जमा  कर बचत योजना  कैप्स गेन (टीडीआर)

राशि: ₹.  ₹. (शब्दों में):.....

अवधि:  वर्ष  महीना  दिन

सावधि जमा के मामले में, देय ब्याज\*  मासिक  त्रैमासिक  कैलेंडर तिमाही  अर्धवार्षिक  वार्षिक

परिपक्वता अनुदेश  स्वतः नवीनीकरण\* मूलधन और वापसी ब्याज  स्वतः नवीनीकरण\* मूलधन और ब्याज  मूलधन और ब्याज का भुगतान करें  स्वतः नवीनीकरण\* रुपये की आंशिक राशि के साथ.....

\* (नवीकरण की तिथि पर प्रचलित ब्याज दर पर समान अवधि के लिए स्वतः नवीनीकरण किया जाएगा।)  
@#(सभी देय ब्याज और परिपक्वता अनुदेश विकल्प सभी बैंकों द्वारा पेश नहीं किए जाएंगे। उपलब्ध विकल्पों के लिए संबंधित बैंकों से संपर्क करें।)  
भुगतान निर्देश (परिपक्वता आय/अवशिष्ट राशि):  
 मेरे बैंक खाता क्रमांक में जमा करके  बैंकर का चेक/ड्राफ्ट जारी करें

अशिक्षित जमाकर्ता के मामले में नकद अधिकारी द्वारा प्रमाणित जमाकर्ता(ओं) का नाम, राशि और जमा की अवधि

रोकड़ अधिकारी के प्रथमाक्षर

### डी. (2) बहुविकल्पीय जमा योजना (एमओडी)/ऑटो स्वीप

जमा का प्रकार  मीयादी जमा  मीयादी जमा (पुनर्निवेश) जमा की अवधि ..... वर्ष ..... माह

मैं/हम एतद्वारा बचत बैंक और चालू खाते पर सामान्य रूप से लागू होने वाले सेवा शुल्क की वसूली के लिए अपने खाते से पैसा निकालने की सहमति देते हैं।  
मैं/हम इसके द्वारा नियम और शर्तों के अनुसार एमओडीएस/ऑटो स्वीप बनाने के लिए अपने/हमारे बचत बैंक/चालू खाते को डेबिट करने के लिए सहमति देते हैं।

लिंकड बचत बैंक/चालू खाता संख्या

एमओडी को तोड़ने के लिए रिवर्स स्वीप सुविधा के तहत, एमओडी को इसके द्वारा तोड़ जाएगा\*  लास्ट इन फर्स्ट आउट  फर्स्ट इन फर्स्ट आउट  
(\* यदि आवेदक कोई विकल्प नहीं चुनता है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट डिफॉल्ट विकल्प होगा।)

### डी. (3) आवर्ती जमा

मासिक / मुख्य मासिक किस्त: ₹.  ₹. (शब्दों में) ..... अवधि:  वर्ष:  माह

स्थायी निर्देश (यदि कोई हो) डेबिट खाता नं

परिपक्वता पर, क्रेडिट खाता संख्या में चला जाता है

बैंकर चेक/ड्राफ्ट जारी करें की अवधि के लिए एसटीडीआर जारी करें  वर्ष  माह  दिन

उपरोक्त मीयादी जमा खाते के लिए, कृपया (एसबी/सीए खाता संख्या) से लागू टीडीएस काट लें। (एसबी/सीए खाता संख्या)

### डी. (4)

यदि मीयादी जमा खाते परिचालन निर्देशों 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी' या 'पूर्व या उत्तरजीवी' के साथ खोले जाते हैं, तो परिपक्वता पर जमा राशि के भुगतान के लिए दोनों जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यदि जमा राशि का भुगतान परिपक्वता से पहले किया जाना है, तो दोनों जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने होंगे।

## डी. (5)

ए. यदि परिचालन निर्देश 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी' है और जमाकर्ताओं में से एक को परिपक्वता से पहले मृत्यु हो जाती है, तो मृत संयुक्त धारक के कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना मियादी जमा के पूर्व भुगतान की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, यह परिपक्वता पर उत्तरजीवी को भुगतान करने के रास्ते में नहीं आया।

यदि परिचालन निर्देश 'पूर्व या उत्तरजीवी \* है और यदि पूर्व की परिपक्वता से पहले मृत्यु हो जाती है, तो 'उत्तरजीवी' परिपक्वता पर जमा राशि निकाल सकता है। हालांकि, जमाकर्ताओं में से एक के मृत्यु के मामले में समय से पहले निकासी के लिए जीवित जमाकर्ता और मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति की आवश्यकता होगी।

बी. जमाकर्ताओं में से किसी एक की मृत्यु पर जमा राशि की समयपूर्व निकासी: क्लॉज डी (5) (ए) में दिए गए अनुसार मृत जमाकर्ताओं के कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति के बजाय, बैंक हम में से किसी एक की मृत्यु पर मृत जमाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना जीवित जमाकर्ता द्वारा जमा राशि की समयपूर्व निकासी की अनुमति दे सकता है। यह अधिदेश जमा की अवधि के दौरान और किसी भी नवीनीकृत अवधि (चाहे पूर्ण या आंशिक राशि के लिए) के दौरान वैध रहेगा, जब तक कि इसे मूल या संशोधित अवधि (शर्तों) के दौरान हमारे द्वारा विशेष रूप से वापस नहीं लिया जाता है या संयुक्त रूप से संशोधित नहीं किया जाता है। ), यदि कोई हो।

हूँ, मैं/हम सहमत हूँ/हैं। परिणामस्वरूप, हम समझते हैं कि जमाकर्ताओं में से किसी एक की मृत्यु पर जमा राशि की समयपूर्व निकासी के संबंध में क्लॉज डी (5) (ए) में निहित दिशानिर्देश लागू नहीं होंगे। खंड डी (5)(ए) में निहित अन्य दिशानिर्देश जमा पर लागू होंगे।

नहीं, मैं/हम सहमत नहीं हूँ/हैं। परिणामस्वरूप, हम समझते हैं कि खंड डी (5)(ए) में निहित दिशानिर्देश पूरी तरह से जमा पर लागू होंगे।

## इ. बचत प्लस खाता

सीमा  परिणामी संतुलन  एकाधिक स्वीप करें

आवृत्ति:  साप्ताहिक  पाक्षिक  मासिक  द्वि-मासिक  त्रैमासिक  अर्धवार्षिक  वार्षिक

तोड़ जाने वाला एमओडी:  लास्ट इन फर्स्ट आउट  फर्स्ट इन फर्स्ट आउट

## एफ. नामांकन (यदि आवश्यक हो, फॉर्म डीए-1 भरें)

### फॉर्म डीए-1 (नामांकन फॉर्म)

नामांकन का विवरण:

पंजीकरण संख्या

बैंक जमा के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45जेडए और नियम 1985 के तहत नामांकन।

मैं/हम ..... (नाम और पता) निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करते हैं जिसे मेरी/हमारी/नाबालिग की मृत्यु की स्थिति में इस जमा की राशि, जिसका विवरण नीचे दिया गया है,

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वापस किया जा सकता है, ..... (उस शाखा/कार्यालय का नाम और पता जिसमें जमा राशि रखी गई है।)

मैं/हम चाहते हैं कि नामांकित व्यक्ति का नाम पासबुक पर मुद्रित हो

जमा का विवरण: जमा का प्रकार: .....

खाता संख्या:

नामांकित व्यक्ति का विवरण

नाम:

नामांकित व्यक्ति का पता: .....

अतिरिक्त विवरण (यदि कोई हो): .....

नामांकित व्यक्ति का मोबाइल नंबर

नामांकित व्यक्ति की जन्मतिथि (नाबालिग के मामले में)

जमाकर्ता के साथ संबंध:..... आयु:.....वर्ष

चूंकि इस तिथि को नामांकित व्यक्ति अव्यस्क है, मैं श्री/श्रीमती/कुमारी को नियुक्त करता हूँ .....

आयु:.....वर्ष

पता:.....

.....नामांकित व्यक्ति की अल्पवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी/नाबालिग मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति की ओर से जमा राशि प्राप्त करने के लिए

(व्यक्तिगत के अलावा किसी अन्य के पक्ष में नामांकन अमान्य है)

(आवेदक के हस्ताक्षर/आवेदक के अंगूठे का निशान)

(आवेदक के हस्ताक्षर/आवेदक के अंगूठे का निशान)

\*पहले गवाह के हस्ताक्षर  
नाम:..... हस्ताक्षर: .....  
पता .....

\*दूसरे गवाह के हस्ताक्षर  
नाम:..... हस्ताक्षर: .....  
पता .....

(\*साक्षी केवल तभी अनिवार्य है जब आवेदक अपने अंगूठे का निशान लगा रहा हो)

दिनांक  स्थान .....

मैं/हम इस खाते में किसी भी व्यक्ति को नामांकित नहीं करना चाहते हूँ/हैं।

(आवेदक के हस्ताक्षर/आवेदक के अंगूठे का निशान)

(आवेदक के हस्ताक्षर/आवेदक के अंगूठे का निशान)

## जी. घोषणा सह वचन पत्र सह स्व-प्रमाणन

1. मैंने/हमने मुझे/हमें दी गई खाता खोलने के फॉर्म की नियम और शर्तों की प्रति पढ़ ली है। नियम एवं शर्तें मुझे/हमें समझा दी गई हैं और समझने के बाद मैं/हम इन्हें स्वीकार करते हैं।

2. (नाबालिग खातों के मामले में)

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि नाबालिग की जन्मतिथि जो मेरी ..... है और मैं उसका प्राकृतिक और वैध अभिभावक/अभिभावक हूँ, जिसे अदालत के आदेश दिनांक द्वारा नियुक्त किया गया है..... (प्रतिनिधि संलग्न है) जब तक उक्त नाबालिग व्यस्क नहीं हो जाता, मैं उपरोक्त खाते में किसी भी प्रकार के भविष्य के सभी लेनदेन में उक्त नाबालिग का प्रतिनिधित्व करूंगा। मैं उपरोक्त नाबालिग के खाते से की गई किसी भी निकासी/लेनदेन के लिए बैंक को उसके दावे के विरुद्ध क्षतिपूर्ति दूंगा।

3. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं किसी अन्य बैंक/शाखा में मूल बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) नहीं रखता हूँ (बीएसबीडीए खाते के मामले में लागू)

स्थान: .....

(आवेदक के हस्ताक्षर/आवेदक के अंगूठे का निशान)

(आवेदक के हस्ताक्षर/आवेदक के अंगूठे का निशान)

दिनांक

## कार्यालय उपयोग/सत्यापन के लिए

(केवल कार्यालय के उपयोग के लिए)

	क्यू संख्या	आद्याक्षर
खुला खाता	<input type="text"/>	<input type="text"/>
दिनांक: <input type="text"/> (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)		
i) इंटरनेट बैंकिंग (आईएनबी) किट नंबर:.....	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ii) आईएनबी देखने का अधिकार <input type="checkbox"/> लेनदेन अधिकार <input type="checkbox"/> तिथि को दिया गया: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
iii) एटीएम कार्ड डेटा प्रेषित: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
iv) नामांकन क्रमांक: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
v) प्रारंभिक (केवाईसी) सीमा: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
vi) फोन बैंकिंग <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## जमा खाते खोलने के नियम और शर्तें

1. मैं पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मैंने 'बैंक' के नियमों और विनियमों और बैंक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं से संबंधित नियमों को पढ़ और समझ लिया है, जिनमें डेबिट कार्ड / इंटरनेट बैंकिंग / एसएमएस बैंकिंग / टेली-बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग / वचुअल बैंकिंग और अन्य सुविधाएं शामिल हैं किन्तु यह इन तक सीमित नहीं है। मैं बैंक/नियामक/सरकार द्वारा समय-समय पर परिपत्रों, अधिसूचनाओं, नोटिस बोर्ड / वेबसाइटों / समाचार पत्र प्रकाशनों आदि के माध्यम से प्रकाशित किए गए संशोधित/परिवर्तित का पालन करने के लिए सहमत हूँ। ऐसे संशोधनों/बदलाव के संदर्भ में यदि कोई हो, तो मैं व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करने का अधिकार छोड़ता हूँ। मैं सहमत हूँ कि मेरे उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड / पिन / ओटीपी के तहत इंस्टेमेंट, मोबाइल, टेली-बैंकिंग या वचुअल बैंकिंग के माध्यम से मेरे खाते में निष्पादित लेनदेन और अनुरोध कानूनी रूप से मेरे लिए बाध्यकारी होंगे और मैं गोपनीयता और ऐसे मामलों में प्रमाणीकरण क्रेडेंशियल और किसी भी अन्य जानकारी / विवरण / ओटीपी / पिन, आदि की गोपनीयता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं सहमत हूँ कि बैंक को किसी भी सेवा शुल्क, व्यय या अन्य देय राशि के लिए मेरे खाते से डेबिट करने के सभी अधिकार प्राप्त हैं, जिसे बैंक मुझसे वसूलने का हकदार/उत्तरदायी है। मैं बैंक को अधिकृत करता हूँ और बिना किसी नोटिस के अपना खाता बंद/बंद करने के लिए सहमत हूँ (सामान्य परिस्थिति में, बैंक बंद करने का कारण बताते हुए 30 दिन का नोटिस दिए बिना खाता बंद नहीं करेगा)। मैं इसके द्वारा अपने संचार पते या संघटन में किसी भी बदलाव पर बैंक को सूचित करने का वचन देता हूँ।
2. आधार विवरण के आधार पर खोले गए खातों के संबंध में, मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने पीएमएलए, 2002 के तहत केवाईसी मानदंडों के अनुपालन के लिए पहचान और/या पते के प्रमाण के लिए स्वेच्छ से यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड जमा कर दिया है और मैं इसके द्वारा सहमत होता हूँ कि बैंक इसे यूआईडीएआई के साथ सत्यापित कर सकता है और यूआईडीएआई को बैंक को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पहचान और पता जारी करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत कर सकता है। मैं इस खाते को एनपीसीएल मैपर के साथ जोड़ना चाहता हूँ ताकि मुझे इस खाते में भारत सरकार से एलपीजी सब्सिडी सहित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त हो सके। मैं समझता हूँ कि यदि मुझे एक से अधिक लाभ हस्तांतरण देय है, तो मुझे इस खाते में सभी लाभ हस्तांतरण प्राप्त होंगे।
3. मैं पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि मुझे किसी भी लागू कानूनी/नियामक/संवैधानिक या अन्य प्रावधानों द्वारा खाते खोलने और/या बनाए रखने या किसी अन्य तरीके से बैंक के साथ लेनदेन करने से रोका/निषिद्ध/प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
4. मैं सहमत हूँ कि मेरा व्यक्तिगत केवाईसी विवरण केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के साथ साझा किया जा सकता है। मैं इसके द्वारा मेरे द्वारा जमा किए गए केवाईसी पहचानकर्ता का उपयोग करके या ग्राहक सूचना शीट (सीआईएफ) में मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करके सीकेवाईसीआरआर के माध्यम से पुनर्प्राप्त करके सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआरआर) से केवाईसी रिकॉर्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। मैं सीआईएफ और खाते खोलने के लिए डाउनलोड की गई केवाईसी जानकारी का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। मैं अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से बैंक/केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री/भारत सरकार/आरबीआई या किसी अन्य प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त करने के लिए सहमत होता हूँ। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि ऐसे किसी भी एसएमएस/ई-मेल के न मिलने पर बैंक किसी भी प्रकार की हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
5. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा 7 अगस्त 2015 की अधिसूचना संख्या एस.0.2155(ई) के तहत अधिसूचित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285बीए के तहत और आरबीआई परिपत्र संदर्भ संख्या डीबीआ.एमएम.बीसी.संख्या.36/ 14.01.001/2015-16 दिनांक 28 अगस्त 2015 को इस मामले में किसी भी बाद के संशोधन / बदलाव सहितलागू नियमों के अनुसार अपनी स्थिति घोषित की है।
6. मैं समझता हूँ, स्वीकार करता हूँ और अधिकृत करता हूँ कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और मामले में सरकार/आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, आवासीय स्थिति और/या उसमें निर्धारित अन्य मानदंडों के आधार पर, अंतर-सरकारी समझौते (आईजीए) के अनुसार विदेशी खाता कर्तव्य अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) और/या कोई अन्य समान व्यवस्था के अनुसार दायित्वों का पालन करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) या अन्य सरकारी एजेंसियों को निर्धारित प्रारूप के अनुसार मेरे खाते(खातों) के संबंध में विवरण का रिपोर्ट बैंक कर सकता है।
7. मैं प्रमाणित और घोषित करता हूँ कि ऋण खाता खोलने और अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए यहां या वेबसाइट/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी मेरे द्वारा हस्ताक्षरित/प्रमाणित है और साथ ही ऋण खाता खोलने के लिए मेरे द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य में भी, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, सही और पूर्ण है और मैंने कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छिपाई है जो अमेरिकी रिपोर्ट योग्य खाते या अन्य रिपोर्ट योग्य खाते या अन्यथा के रूप में मेरे खाते के मूल्यांकन/वर्गीकरण को प्रभावित कर सकती है। यदि मेरे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी या विवरण गलत या असत्य या भ्रामक या गलत बयानी वाला पाया जाता है, तो मुझे पता है कि इसके लिए मुझे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
8. मैं यहां/या अन्यथा प्रदान की गई जानकारी के साथ-साथ मेरे द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य में होने वाले किसी भी बदलाव को यदि कोई प्रमाणीकरण गलत हो जाता है या उसमें कोई परिवर्तन हो जाता है, तुरंत घोषित करने और परिवर्तन की तारीख से 30 दिनों से अधिक किसी भी स्थिति में खुलासा करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं आगे आवश्यकता पड़ने पर दस्तावेजी साक्ष्य के साथ नवीन और वैध स्व-प्रमाणन प्रदान करने का वचन देता हूँ; फिर भी यहां दी गई सभी घोषणाएं और वचन-पत्र मेरे द्वारा प्रदान किए गए ऐसे सभी संशोधित/परिवर्तित दस्तावेज/जानकारी पर भी लागू होंगे, जब तक कि उपरोक्त संशोधित स्व-प्रमाणन बैंक को प्रदान नहीं किया जाता है।
9. मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि अभी या भविष्य में मुझे ज्ञात किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य/जानकारी का खुलासा करने में मेरी विफलता या निर्धारित अवधि के भीतर दस्तावेजों/सूचना/अन्य विवरणों में किसी भी कमी को दूर करने में मेरी विफलता, मुझे खाते में लेनदेन करने से अमान्य कर सकती है और सीबीडीटी/आरबीआई/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के तहत बैंक द्वारा उचित समझी जाने वाली कार्रवाई तथा मेरे खाते के संचालन पर प्रतिबंध लगाने या इसे बंद करने या उक्त उद्देश्य के लिए किसी भी नियामक और/या भारत सरकार (भारत सरकार)/आरबीआई द्वारा नामित किसी प्राधिकारी को रिपोर्ट करने या कोई अन्य कदम उठाने के अपने अधिकार में होगा।
10. मैं बैंक को उपरोक्त मामले में या अन्यथा भारत या विदेश में कानून में किसी भी बदलाव के कारण प्रदान किए जाने वाले किसी भी अन्य विवरण को देने और सूचित करने के लिए भी सहमत हूँ।
11. यहां दिए गए विवरण में किसी भी दोष/गलती के कारण या मेरे द्वारा गलत या अधूरी जानकारी प्रदान करने के कारण बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान/क्षति के लिए मैं बैंक को क्षतिपूर्ति दूंगा।
12. मैं बैंक द्वारा आवश्यक आवधिक अंतराल पर केवाईसी विवरणों को अद्यतन करने के लिए नए केवाईसी दस्तावेजों के साथ डेटा/जानकारी प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ।
13. मैं समझता हूँ कि खाता सक्रिय हो जाएगा और बैंक द्वारा केवाईसी से संबंधित ग्राहक संबंधी उचित कार्रवाई पूरी होने के बाद ही डेबिट की अनुमति दी जाएगी।
14. यदि खाता पैन के बिना खोला जाता है, तो मैं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख को या उससे पहले पैन जमा करने का वचन देता हूँ, जिसके बाद पैन जमा होने तक खाता चालू नहीं रहेगा. मनी-लॉन्ड्रिंग निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम 2005 के अनुसार, खाते के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय / विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए पैन विवरण अनिवार्य है।
15. यदि, खाता खोलने के समय वर्तमान पते के लिए डीएड ओवीडी जमा किए जाते हैं, तो मैं खाता खोलने की तारीख से 3 महीने के भीतर आधार या वर्तमान पते वाले किसी भी ओवीडी को जमा करने का वचन देता हूँ, ऐसा न करने पर मैं समझता हूँ कि मेरा खाता परिचालन भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बंद कर दिया जाएगा।
16. मुझे आईएनबी कित और एटीएम कार्ड/चेक बुक वाली वेलकम कित प्राप्त हुई है और मैं समझता हूँ कि कित की सामग्री के किसी भी दुरुपयोग/दुरुपयोग के मामले में, बैंक किसी भी नुकसान/क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
17. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि बचत बैंक खाते का उपयोग मेरे द्वारा केवल गैर-व्यावसायिक/गैर-वाणिज्यिक प्रकृति के लेनदेन के लिए किया जाएगा। ऐसे लेन-देन या ऐसे किसी भी लेन-देन के घटित होने की स्थिति में, जिसे वाणिज्यिक/व्यावसायिक/संदिग्ध या अवांछनीय माना जा सकता है, बैंक ऐसे खातों में एकतरफा परिचालन पर रोक लगाए और/या खाता बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
18. मुझे खाता खोलने के लिए औसत मासिक शेष (एमबी) की आवश्यकता के बारे में बताया गया है और यह समझने के लिए कहा गया है कि ये आवश्यकताएं संशोधन/परिवर्तन के अधीन हैं और ऐसे संशोधन/परिवर्तन बैंक की साइट पर अपलोड किए जाएंगे जो मुझे उस आशय की सूचना के रूप में स्वीकार्य होंगे।
19. मैं पुष्टि करता हूँ कि बीएसबीडी खाते की उत्पाद विशेषताएं मुझे समझा दी गई हैं (बीएसबीडी खाता आवेदक पर लागू)
20. छोटे खातों के लिए लागू: मैं समझता हूँ कि यह खाता प्रारंभ में बारह महीनों के लिए चालू रहेगा, 'ओवीडी' के लिए आवेदन किए गए साक्ष्य प्रस्तुत करने पर इसे अगले बारह महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। संपूर्ण छूट/प्रावधानों की चौबीस महीने के बाद समीक्षा की जाएगी।
21. मुझे सूचित किया गया है कि यदि मैं अपना मोबाइल नंबर प्रदान नहीं करता हूँ, तो मैं एटीएम नकद निकासी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की किसी भी सुविधा के लिए पात्र नहीं हूँ।
22. (सामाजिक कल्याण लाभ जमा करने के लिए खोले गए खातों के लिए लागू)

(आवेदक के हस्ताक्षर/आवेदक के अंगूठे का निशान)

(आवेदक के हस्ताक्षर/आवेदक के अंगूठे का निशान)

**अभिरक्षीकृति डीए - 1**

हम आपके द्वारा निम्नलिखित के पक्ष में किए गए नामांकन की प्राप्ति स्वीकार करते हैं:

नामांकित व्यक्ति का नाम.....आयु:..... वर्ष:.....

आपके खाता संख्या के संबंध में

पंजीकरण संख्या

दिनांक :  
भवदीय

मुहर के साथ बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

## बचत बैंक नियम (संक्षिप्त)

अपने ग्राहक को जाने संबंधी दिशानिर्देश

खाता खोलने की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति, निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए सहमत होने पर, बचत बैंक खाता खोल सकता है, बशर्ते वह बैंक द्वारा आवश्यक पहचान प्रमाण और पते का प्रमाण प्रस्तुत करे।

नामांकन एवं उत्तरजीविता सुविधा

नामांकन सुविधा बचत बैंक खातों पर उपलब्ध है और खाताधारकों को अप्रत्याशित परिस्थितियों में कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दावे के सुचारु निपटान के लिए इस सुविधा का लाभ उठाने की सलाह दी जाती है। नामांकन केवल एक नामिती व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है। यदि वे नामांकन नहीं करना चाहते हैं, तो यह तथ्य उनके पूर्ण हस्ताक्षर के तहत खाता खोलने के फॉर्म पर दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, उत्तरजीवी लाभ के साथ संयुक्त खाता उत्तरजीवी द्वारा संचालित किया जा सकता है। खातों के प्रकार, शेष राशि की शर्त और सेवा शुल्क आवेदक चेकबुक सुविधा के साथ या चेकबुक के बिना खाता खोल सकते हैं। एस्बी खातों के लिए निर्धारित वर्तमान मासिक औसत शेष और न्यूनतम शेष न बनाए रखने के लिए निर्धारित शुल्क, बैंक की वेबसाइट और संपर्क केंद्र पर उपलब्ध हैं। जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। अवश्य खाते को छोड़कर, बचत बैंक खाते में अधिकतम शेष राशि की कोई सीमा नहीं है।

नाबालिग खाते

जो नाबालिग एकसमान हस्ताक्षर का पालन कर सकते हैं और दस वर्ष से कम उम्र के नहीं हैं, वे अपने एकल नाम से खाता खोल सकते हैं और उसमें अधिकतम 10,00,000 रुपये (केवल दस लाख रुपये) का शेष रख सकते हैं। नाबालिग अपने अभिभावकों के साथ संयुक्त खाता खोल सकते हैं।

खाता कैसे खोलें?

सामान्य तौर पर, आवेदक को खाता खोलने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बैंक में उपस्थित होना चाहिए। वे निर्धारित आवेदन पत्र को विधिवत भरे और उस पर हस्ताक्षर करें। आवेदक को केवाईसी दस्तावेज, आरबीआई/सीबीडीटी के लिए लागू घोषणा और हाल ही में ली गई पासपोर्ट आकार की तस्वीरों की दो प्रतियां जमा करनी चाहिए। आवेदक खाता खोलने के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। खाताधारकों के हस्ताक्षर सुगठ और सुव्यवस्थित होने चाहिए। हस्ताक्षर बड़े या बड़े अक्षरों में नहीं होने चाहिए। प्रत्येक खाते को एक विशिष्ट खाता संख्या दी जाएगी। बैंक के साथ लेनदेन करते समय, खाताधारकों द्वारा यह संख्या अनिवार्य रूप से उद्धृत की जानी चाहिए। खाताधारकों से, अपने हित में, खातों के संचालन और बैंक से पत्राचार करते समय बैंक में दर्ज नमूने के अनुसार एक समान हस्ताक्षर का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

पास बुक

खाताधारक को दी गई पासबुक और चेकबुक को सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए। इस संबंध में खाताधारकों की उपेक्षा के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या गलत भुगतान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। निकासी फॉर्म के माध्यम से नकदी निकालने के लिए पासबुक प्रस्तुत करनी होगी। चेक फॉर्म और डेबिट कार्ड का उपयोग करके निकासी पास बुक के बिना की जा सकती है। पासबुक प्रस्तुत किए बिना जमा किया जा सकता है। पासबुक को नियमित रूप से अपडेट कराया जाए। लेनदेन पूरा होने के तुरंत बाद विधिवत अद्यतन पासबुक खाताधारक को वापस कर दी जाएगी। यदि इसे एक सप्ताह के भीतर एक्त्र नहीं किया जाता है, तो इसे उनकी लागत पर पंजीकृत एडी डाक/कूरियर द्वारा वापस कर दिया जाएगा। खाताधारकों को अपनी पासबुक में प्रविष्टियों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और त्रुटियों या चूक, यदि कोई हो, पर बैंक का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। आवश्यक पूछताछ, औपचारिकताएं पूरी करने और निर्धारित शुल्क की वसूली के बाद खाताधारक से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर खोई हुई या कटे-फटे पासबुक के बदले में डुप्लिकेट जारी किया जा सकता है। इसके लिए निर्धारित वर्तमान शुल्क बैंक की वेबसाइट और संपर्क केंद्र पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

चेक बुक

खाता खोलने के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बैंक पहली चेक जारी करेगा। बैंक लागू शुल्क की वसूली के अनुरूप चेक बुक जारी करेगा। इसके लिए निर्धारित वर्तमान शुल्क बैंक की वेबसाइट और संपर्क केंद्र पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। खाताधारकों को बैंक द्वारा उन्हें जारी की गई चेकबुक से ही चेक का उपयोग करना चाहिए। बैंक अन्यथा आहरित किसी भी चेक का भुगतान अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आमतौर पर, बैंक एक समय में या पहले जारी किए गए सभी या लगभग सभी चेक पत्रे समाप्त होने से पहले एक से अधिक चेक बुक जारी नहीं करेगा। चेक सुगठ रूप से लिखे जाने चाहिए। जारी किए गए या खो गए चेक के संबंध में भुगतान रोकने के निर्देश एक निर्धारित सेवा शुल्क के भुगतान पर बैंक के साथ पंजीकृत किए जा सकते हैं। इसके लिए निर्धारित वर्तमान शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

सामान्य

बचत बैंक खाता अनिवार्य रूप से बचत जमा करने की एक सुविधा है और इसलिए इसे चालू खाते के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बैंक किसी खाते को बंद कर सकता है यदि उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण हो कि खाताधारक ने अपने खाते का उपयोग ऐसे उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए इसकी अनुमति नहीं है।

जमा

एक महीने में केवल तीन नकद जमा लेनदेन निःशुल्क करने की अनुमति है। नॉन होम ब्रांच में नकदी जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं। 10/- रुपये से कम नकद जमा स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल खाताधारक के पक्ष में आहरित चेक, ड्राफ्ट या अन्य लिखत खाते में क्रेडिट के लिए स्वीकार किए जाएंगे। खाताधारक के पक्ष में समर्थित तीसरे पक्ष के दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जब तक स्वीकृत लिखतों की वसूली नहीं हो जाती तब तक किसी प्रकार के आहरण की आमतौर पर अनुमति नहीं दी जाएगी। संतोषजनक ढंग से संचालित खातों में, समय-समय पर निर्धारित मूल्य तक बाहरी/स्थानीय उपकरणों के लिए तत्काल क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। सामान्य संग्रहण और जब से खर्च की वसूली की जाएगी। इसके लिए निर्धारित वर्तमान सीमा और शुल्क बैंकों की वेबसाइट और संपर्क केंद्र पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है, बाद में बिना भुगतान लौटाए गए उपकरणों पर अतिदेय ब्याज की वसूली की जाएगी।

निकासी

खाताधारक बैंक के मानक निकासी फॉर्म का उपयोग करके अपने साधारण बचत बैंक खाते से व्यक्तिगत रूप से पैसे निकाल सकता है। निकासी फॉर्म के साथ पास बुक/कोई ओवीडी अवश्य संलग्न होनी चाहिए। निकासी फॉर्म का उपयोग केवल खाताधारक द्वारा स्वयं भुगतान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। एटीएम सह डेबिट कार्ड का उपयोग एटीएम में नकदी निकासी के लिए भी किया जा सकता है। खाताधारक 50/- रुपये से कम राशि नहीं निकाल सकता, सभी निकासी केवल रुपये में ही होनी चाहिए। निकासी फॉर्म के माध्यम से तीसरे पक्ष को भुगतान की अनुमति नहीं है। यदि खाताधारक अपने खाते से नकदी निकालने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हैं, तो भुगतान प्राप्त करने के लिए पासबुक के साथ निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्राधिकार पत्र एक अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से बैंक को भेजा जाना चाहिए। प्रति चेक फॉर्म में न्यूनतम आहरण की अनुमति 50 रुपये तक सीमित है। किसी खाते में अनुमत मुक्त डेबिट प्रविष्टियों की अधिकतम संख्या खाते में एफबी पर या समय-समय पर बैंक द्वारा तय किए गए अनुसार निर्भर करती है। इस सीमा से अधिक के लिए निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट और संपर्क केंद्र पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करके बीमार, बूढ़े या अक्षम खाताधारकों के खातों से नकद निकासी की जा सकती है जो बैंक में उपस्थित होने में असमर्थ हैं और/या नकदी निकालने के लिए अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाने में भी सक्षम नहीं हैं।

ओवरड्राफ्ट

बचत बैंक खातों में ओवरड्राफ्ट की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में पूर्व व्यवस्था के साथ दी जा सकती है। खाते में शेष राशि से अधिक राशि का चेक बिना भुगतान के वापस कर दिया जाएगा। पर्याप्त धनराशि के अभाव में चेक बिना भुगतान लौटाए जाने पर हर बार सेवा शुल्क वसूला जाएगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क बैंकों की वेबसाइट और संपर्क केंद्र पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

निष्क्रिय खाते

खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खाते नियमित रूप से संचालित करें। अंतिम परिवालन के बाद 24 महीने की निर्धारित समय अवधि के बाद संचालित नहीं किए गए खातों को निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में वर्तमान निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट और संपर्क केंद्र पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

स्थायी अनुदेश

खाताधारक सेवा शुल्क के भुगतान पर अपने खाते से डेबिट द्वारा बीमा प्रीमियम, सदस्यता शुल्क आदि के आवधिक भुगतान के लिए बैंक से अनुरोध कर सकता है। स्थायी अनुदेश के लिए वर्तमान निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

ब्याज का भुगतान

समय-समय पर लागू आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार। ब्याज की गणना दैनिक उत्पाद के आधार पर की जाएगी। ब्याज तिमाही अंतराल पर खाते में जमा किया जाएगा। ब्याज का भुगतान तभी किया जाएगा जब यह 1/- या अधिक हो। इसके बाद पचास पैसे और अधिक को अगले उच्च रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और इससे कम को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा खातों पर रोक लगाने के मामले में, प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा फ्रीज किए गए खातों के मामले में, बैंक नियमित आधार पर खाते में ब्याज जमा करना जारी रखेगा।

स्थानांतरण एवं खाता बंद करना

खाताधारक के अनुरोध पर खातों को बैंक की शाखाओं के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है। खाता बंद करने के अनुरोध में बंद होने का कारण बताना चाहिए। ऐसे अनुरोध के साथ पासबुक अवश्य संलग्न होनी चाहिए। संयुक्त खाते केवल ऐसे सभी संयुक्त हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुरोध पर ही बंद किए जा सकते हैं। यदि कोई खाता खुलने के 14 दिन से लेकर एक वर्ष तक बंद किया जाता है तो निर्धारित दर पर सेवा शुल्क वसूल किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित वर्तमान शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। खातों को ऑनलाइन भी हस्तांतरित किया जा सकता है।

नियमों में बदलाव

बैंक इन नियमों और सेवा शुल्कों में से किसी को बदलने, हटाने या जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिसके लिए ग्राहक को बैंक की वेबसाइट और/या शाखा नोटिस बोर्ड के माध्यम से विधिवत सूचित किया जाएगा।

बीएसबीडी खाते की विशेषताएं.

- बैंक शाखा के साथ-साथ एटीएम/सीडीएम में नकदी जमा करना
- किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से या केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और विभागों द्वारा आहरित चेक के जमा/संग्रह के माध्यम से धन की प्राप्ति/क्रेडिट।
- महीने में जमा की जाने वाली जमाओं की संख्या और मूल्य की कोई सीमा नहीं।
- एटीएम निकासी सहित न्यूनतम 4 निकासी
- एटीएम कार्ड या एटीएम-सह-डेबिट कार्ड



## फॉर्म - 60 (पैन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में)

नाम:

(आईडी प्रूफ के समान)

यदि पैन के लिए आवेदन किया है और यह अभी तक जेनरेट नहीं हुआ है, तो आवेदन की तारीख दर्ज करें  और पावती संख्या

यदि पैन के लिए आवेदन नहीं किया है, तो उस वित्तीय वर्ष के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 64 के अनुसार अनुमानित कुल आय (पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि की आय सहित) भरें, जिसमें उपरोक्त लेनदेन हुआ है।

कृषि आय (रुपये)

कृषि आय के अलावा

## सत्यापन

मैं .....एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मेरे पास कोई स्थायी खाता संख्या नहीं है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 64 के अनुसार मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय (पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि की आय सहित) की गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। जिस वित्तीय वर्ष में उपरोक्त लेनदेन किया गया है, उस पर कर नहीं लगने वाली अधिकतम राशि से कम होगी। आज तक सत्यापित, का .....दिन ..... 20 .....

स्थान:.....

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

## संबंधित व्यक्ति का विवरण (नाबालिग के लिए भरा जाए)

संबंधित व्यक्ति को जोड़ना  संबंधित व्यक्ति का विलोपन

संबंधित व्यक्ति का केवाईसी (यदि उपलब्ध हो)\*

संबंधित व्यक्ति प्रकार\*  नाबालिग का संरक्षक  संपत्ति-भागी  अधिकृत प्रतिनिधि

## संबोधन

नाम\*:  F I R S T N A M E  M I D D L E N A M E  L A S T N A M E

(यदि केवाईसी नंबर और नाम प्रदान किया गया है, तो नीचे दिए गए विवरण वैकल्पिक हैं)

## संबंधित व्यक्ति की पहचान का प्रमाण (पीओआई)\*

ए-पासपोर्ट  बी-मतदाता पहचान पत्र  सी-ड्राइविंग लाइसेंस  डी-यूआईडी (आधार)  ई-नरेगा जॉब कार्ड

एफ- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का विवरण शामिल है

जी-अन्य (केंद्र सरकार/आरबीआई द्वारा अधिसूचित कोई भी दस्तावेज)

दस्तावेज संख्या/पहचान संख्या\*

जारी करने की तिथि\*:  D D M M Y Y Y Y

समाप्ति तिथि (यदि लागू हो)\*:  D D M M Y Y Y Y

टिप्पणी

## एफएटीसीए घोषणा प्रपत्र

जन्म स्थान/शहर\*:

जन्म का देश\*:

एकाधिक कर निवास: भारत में और/या संयुक्त राज्य अमेरिका में और/या भारत के बाहर किसी अन्य देश में कर निवास के देश का विवरण निम्नानुसार है

कर निवास का देश#	कर पहचान संख्या या समकक्ष यदि अधिकार क्षेत्र द्वारा जारी किया गया हो	पहचान प्रकार (टिन या अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)

\* अमेरिका का नागरिक, जिसमें अमेरिका में पैदा हुआ लेकिन दूसरे देश का निवासी व्यक्ति भी शामिल है (जिसने अमेरिकी नागरिकता नहीं छोड़ी है)

\* यूएस में रहने वाला व्यक्ति जिसमें यूएस ग्रीन कार्ड धारक भी शामिल है \* कुछ व्यक्ति जो प्रत्येक वर्ष अमेरिका में 180 दिन से अधिक समय बिताते हैं

क्षेत्राधिकार/देश में पता - जहां आवेदक कर प्रयोजन के लिए भारत से बाहर का निवासी है

पता\*

शहर/गांव\*:

राज्य\*

देश का नाम\*

ज़िप कोड\*

स्थान:

दिनांक: